

विभागवार जिले से वीडियो कांफ्रेंसिंग की समय सारिणी वर्ष 2017

क्र	विभाग का नाम	माहवार वीडियो कांफ्रेंसिंग की तिथि (दशमे अनुसार प्रति दिन दोपहर 2 बजे से)											
		जनवरी 17	फरवरी 17	मार्च 17	अप्रैल 17	मई 17	जून 17	जुलाई 17	अगस्त 17	सितम्बर 17	अक्टूबर 17	नवम्बर 17	दिसम्बर 17
1	सामान्य प्रशासन विभाग एवं जन शिकायत निवारण	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
2	परिवहन (दोपहर 2 से 2.45), जेल (दोपहर 2.45 से 3.30), गृह विभाग पुलिस (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	3	2	2	3	2	2	3	2	4	4	2	4
3	राजस्व एवं पुनर्वास विभाग	4	3	3	5	3	3	4	3	5	5	3	5
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	5	4	4	6	4	5	5	4	6	6	6	6
5	वन विभाग एवं शन विभाग	6	6	6	7	5	6	6	5	7	7	7	7
6	वित्त (दोपहर 2 से 2.45 तक), वाणिज्यिक कर (दोपहर 2.45 से 3.30 तक), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	7	7	7	10	6	7	7	8	8	9	8	8
7	वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग	9	8	8	11	8	8	10	9	11	10	9	11
8	नगरीय विकास विभाग	10	9	9	12	9	12	11	10	12	11	10	12
9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	11	10	10	13	11	13	12	11	13	12	13	13
10	जल संसाधन एवं आवाकट विभाग	12	13	14	17	12	14	13	14	14	13	14	14
11	कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग	13	14	15	18	15	15	14	16	15	16	15	15
12	ऊर्जा विभाग	16	15	16	19	16	16	17	17	18	17	16	19
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	17	16	17	20	17	19	18	18	19	18	17	20
14	आवास पर्यावरण एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रीनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	18	17	20	21	18	20	19	21	20	20	20	21
15	लोक निर्माण विभाग	19	20	21	22	19	21	20	22	21	23	21	22
16	उच्च शिक्षा, (दोपहर 2 से 3.00 तक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन (दोपहर 3 से 5.00 तक)	20	21	22	24	22	22	21	23	22	24	22	23
17	स्कूल शिक्षा विभाग (दोपहर 2 से 4 तक) खेल एवं युवक कल्याण विभाग (दोपहर 4 से 5 तक)	23	22	23	25	23	23	22	24	23	25	23	26
18	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	24	23	24	26	24	24	24	25	25	26	24	27
19	पंचायत एवं समाज कल्याण (दोपहर 2 से 3.30 तक) महिला एवं बाल विकास विभाग (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	25	25	25	27	25	27	25	26	26	27	25	28
20	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	27	27	27	28	26	28	26	28	27	28	27	29
21	जनसम्पर्क, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग	30	28	28	29	27	29	27	29	28	30	28	30
22	खनिज साधन विभाग (दोपहर 2 से 3.30 तक), सार्वकारिता विभाग (दोपहर 3.30 से 5.00 तक)	31	-	29	-	29	30	28	30	29	31	29	-